CDO.
Sanjay Pal

(2)

परिशिष्ट–12

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

दिनॉक 24.11.2017 (शुकवार) को आहूत हुई वित्त समिति की आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त ।

–उपस्थिति–

1. डॉ0 अरविन्द कुमार दीक्षित, कुलपति –	अध्यक्ष
2. श्री एस0 के0 गुप्ता अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल आगरा (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य
3. डॉ0 टी.वी.एस. यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य
4. श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, (कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में नामित)	सदस्य
5. श्री आर.पी. सिंह,पी.सी.एस., कुलसचिव	सदस्य
6. श्री के.एन. सिंह, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7. श्री मुकेश कुमार जैन, वित्त अधिकारी	सदस्य–सचिव

सर्वप्रथम कुलपति जी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, नामित सदस्य का सभी सदस्यों से परिचय कराया गया । तदुपरान्त नवागत वित्त अधिकारी द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई ।

मद संख्या 01– रिसर्च इंटीग्रेशन कमेटी की बैठक दिनांक 12.05.2017 के निर्णय के अनुसार निर्धारित पी–एच.डी. की फीस का अनुमोदन प्रदान किया जाना ।

निश्चय संख्या 01– समिति ने सर्वसम्मत से डीन, शोध की अध्यक्षता में आयोजित आर.आई.सी. (रिसर्च इंटीग्रेशन कमेटी) की बैठक दिनांक 12.05.2017 की कृत कार्यवाही एवं संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया । जिसमें कोर्स वर्क हेतु शोधार्थियों से रूपये 25,000/– नये अध्यादेश से, तथा नये अध्यादेश के बिन्दु संख्या 9.07 के अनुसार 4 वर्ष की शोध अवधि समाप्त होने के पश्चात् शोध प्रबन्ध जमा करने पर रूपये 2,000/– अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा करना होगा । शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा पी–एच. डी. उपाधि हेतु मौखिकी के लिए शोध प्रबन्ध के साथ रूपये 10,000/– जमा करेंगे जिसमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए शोधार्थियों को इस कार्य हेतु रूपये 5,000/– जमा किया जाना है । शोध पंजीयन शुल्क पूर्व निर्धारित दर के आधार पर ही प्राप्त किया जाय । डीन शोध को यह भी निर्देशित किया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर उसका प्रस्ताव आगामी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

मद संख्या 02– निदेशक, ललित कला संस्थान के प्रस्ताव दिनांक 11.09.2017 के अनुसार विशिष्टि कला एवं संस्कृति हेतु सामग्री,मानदेय एवं विभिन्न व्यय का कार्योत्तर बजटीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

...2

24.11.17

द संख्या 4– समन्वयक रूसा का प्रस्ताव दिनांक 04.02.2024 रूसा योजना के तहत इक्विटी पहल योजना म विश्वविद्यालय के 18 संस्थान, विभाग हेतु उपलब्ध रुपये 30 लाख का उपयोग शैक्षिक सत्र वर्ष 2021–22 से 2023–24 के व्यय को इस अनुदान से प्रतिपूर्ति किये जाने के लिए व अंग्रेजी/हिन्दी मे संचार कौशल प्रणाली शासकीय उद्यम बेसिल के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए रूपये 20 लाख का अनुदान एव अवशेष धनराशि आवासीय इकाई विभागो मे पंजीकृत छात्रा का पी एच–डी की छात्रवृत्ति के लिए इक्विटी इनिशिएटिव परियोजना मानदडो के अनुसार प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना।

चय संख्या 4– समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु समन्वयक, रूसा को आमंत्रित किया गया। समन्वयक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शासन स्तर से रूसा योजना के अन्तर्गत इक्विटी इनिशिएटिव परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसका उपभोग निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जाना है, व अंग्रेजी/हिन्दी में संचार कौशल प्रणाली को शासकीय संस्था (बेसिल) से ही शासनादेश के अनुसार कराया जाना है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध अवशेष धनराशि को आवासीय इकाई विभागों में पंजीकृत एस.सी, एस.टी. व ओ.बी.सी. छात्रों को पी.एच–डी. की छात्रवृत्ति के लिए इक्विटी इनिशिएटिव परियोजना मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाना है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उपरोक्त का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि अनुदान का उपभोग इस हेतु निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही कर उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया जाय।

(कार्यवाही– समन्वयक)

संख्या 5– निदेशक, खेलकूद विभाग के प्रस्ताव दिनांक 25.01.2024 के अनुसार खेलकूद समीक्षा बैठक सत्र 2023–24 के कार्यवृत्त दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 01, 02 एव 15 पर पुनः विचार किया जाना।

चय संख्या 5– समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्बन्धित बिन्दुओं की संशोधित दरों को गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2023 के मद संख्या 05 के निर्णय के कम में, निम्नवत् स्वीकार किया गया–

बिन्दु संख्या 1 – अंतर विश्वविद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ी के प्रतिभाग करने पर रूपये 400+100=रू0 500 के स्थान पर रूपये 600+100=रू0 700 दैनिक भत्ता, जलपान सहित का अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या 2 – अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु पूर्व में दी जाने वाली सहयोग राशि रूपये 10,000/– के स्थान पर रूपये 15,000/– तथा रूपये 15,000/– के स्थान पर रूपये 20,000/– एवं रूपये 25,000/– के स्थान पर रूपये 30,000/– की वृद्धि से सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या 15 – प्रस्ताव के अनुसार उत्तर क्षेत्रीय/अखिल भारतीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर, कम से कम 15 दिवस का स्वीकार किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, वित्त अधिकारी)

अन्त मे माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(सुदर्शन)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो0 आशु रानी)
कुलपति/अध्यक्ष

(3)

डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या– प्र०शा० 1677/2
दिनांक–05/11/2018

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.10.2018 के मद संख्या 8 को, कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 22.10.2018 अनुमोदनोपरान्त खेलकूद परिषद् की बैठक दिनांक 17.08.2017 में लिये गये निर्णय पर अध्यक्ष, खेलकूद परिषद् प्रस्ताव दिनांक 28.08.2018 के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान की गयी –

बिन्दु 1 के लिए अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में छोटे खेलों, बड़े खेलों व एथलेटिक्स प्रतियोगि की पूर्व दर ही यथावत् रखी जाय ।

बिन्दु 2 के लिए अन्तर–महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतियोगिता आयोजित कराने वाले पर्यवेक्षक/चयनकर्ता (विशेषज्ञ)/ विश्वविद्यालय के सहा० निदेशक/ आयोजन सचिव की पूर्व में देय रूपये 350/– के स्थान पर प्रस्तावित देय रूपये 1,000/– प्रतिदिन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

बिन्दु 3 के लिए प्रस्तावित नवीन प्राविधान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को रूपये 1,00,000/–, द्वितीय स्थान हेतु 75,000/– एवं तृतीय स्थान करने पर रूपये 60,000/– तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रूपये 50,000/– छात्रों मनोबल बढ़ाये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी ।

बिन्दु संख्या 4 के लिए उत्तर क्षेत्रीय/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में टीम के साथ वाले मैनेजर एवं प्रशिक्षक को वर्तमान में देय रूपये 600/– प्रतिदिन के स्थान पर प्रस्तावित रूपये 1,000/– प्रतिदिन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

बिन्दु संख्या 5 के लिए समिति ने निर्णय लिया कि खिलाड़ियों के भत्तों में वृद्धि के कारण विश्वविद्या से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा छात्रों से वार्षिक खेलकूद शुल्क रूपये 200/– के स्थान पर 250/– प्राप्त किया जाय जिसमें से विश्वविद्यालय अंशदान शुल्क रूपये 75/– आगामी शैक्षिक स 2019–20 से निर्धारित किया जाय। इस व्यवस्था को लागू किये जाने के लिए शीघ्र ही शासन स्तर से अनु प्राप्त किया जायेगा जिसे आगामी सत्र से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जायेगा ।

बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के निर्णय दिनांक 1, नवम्बर, 2018 से प्रभावी होंगे ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1– सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ
2– वित्त अधिकारी
3– परीक्षा नियंत्रक
4– उप कुलसचिव (लेखा)
5– अधिष्ठाता छात्र कल्याण/ प्रभारी, खेलकूद विभाग
7– प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय को बिन्दु संख्या 5 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6– अभिलेख खण्ड ।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

मद संख्या 04– खेलकूद परिषद् की संस्तुतियों पर विचार ।

निश्चय संख्या 04– समिति ने अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पदेन अध्यक्ष, खेल–कूद परिषद् के पत्र दिनांक 21.11.2017 के अनुसार खेल–कूद परिषद् की बैठक दिनांक 17.08.2017 की संस्तुतियों को निम्नानुसार यथावत् स्वीकार किया –

1. तृतीय श्रेणी कर्मचारी को वर्तमान में रू.100/–दर से देय के स्थान पर रू0 300/–प्रतिदिन की दर से दिये जाने की मॉग की।
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्तमान में रू0 50/–दर से देय के स्थान पर रू.190/–प्रतिदिन की दर से दिये जाने की मॉग की।
3. दिन भर चलने वाले खेलों/मैचों पर वर्तमान में निर्णायकों को रू0 200/350 की दर से देय के स्थान पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से दिये जाने की मॉग की।
4. अन्तर महाविद्यालयी/उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयी/आखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं मे प्रतिभागकरनेपर खिलाडियों की दैनिक भत्ता रू. 225/– के स्थान पर रू0 400/–तथा जलपान रू. 50/– की जगह रू. 100/– की मॉग की गई।
5. उत्तर क्षेत्रीय अन्तर–विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओ में खिलाडियों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्थान प्राप्त करने पर

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	रू0 15000/–	के स्थान पर रू0 30000/–
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 10000/–	के स्थान पर रू0 20000/–
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 7500/–	के स्थान पर रू0 15000/–

टीम प्रतिस्पर्धाओं में

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	रू0 20000/–	के स्थान पर रू0 40000/–
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 15000/–	के स्थान पर रू0 30000/–
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 10000/–	के स्थान पर रू0 20000/–

राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्थान प्राप्त करने पर

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	रू0 15000/–	के स्थान पर रू0 30000/–
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 10000/–	के स्थान पर रू0 20000/–
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 7500/–	के स्थान पर रू0 15000/–

टीम प्रतिस्पर्धाओं में

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	रू0 30000/–	के स्थान पर रू0 60000/–
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 20000/–	के स्थान पर रू0 40000/–
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	रू0 15000/–	के स्थान पर रू0 30000/–

विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन पर होने वाले व्यय

1. शिविर में भाग लेने वाले सभी खिलाडियों/प्रशिक्षक/आयोजन सचिव/कर्मचारियों को देय प्रतिदिन दैनिक भत्ता व स्वल्पाहार रू0 250/– की जगह रू0 400/–प्रतिदिन की दर से देय हो।
2. विश्वविद्यालय टीम प्रशिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम पारिश्रमिक रू0 250/– के स्थान पर रू0 500/– देय हो।
3. मजदूरों से कार्य कराने पर पारिश्रमिक रू0 100/– के स्थानपर रू0 190/–प्रतिदिन दिये जाये।
4. उत्तर क्षेत्रीय/आखिल भारतीय प्रतियोगिताओ में मैंच व अभ्यास मैंच के बाद स्वल्पाहार हेतु सभी टीम सदस्यों को रू0 50/– के स्थान पर रू0 100/–प्रति व्यक्ति देय हो।

मद संख्या 05– अध्यक्ष, विश्वविद्यालय आवासीय शिक्षक संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2017 के अनुसार पेंशन फण्ड खाते में रूपये 50 करोड़ हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार ।

निश्चय संख्या 05– समिति ने प्रत्यावेदन पर विचार–विमर्श किया व यह निर्णय लिया कि बजट सत्र 2017–18 में उक्त मद में रूपये 10 करोड़ हस्तान्तरित किया जाय ।

24.11.17

....10

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनाँक 28.11.2023 (दिन मंगलवार) को आहूत हुई वित्त समिति की आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त।

–उपस्थिति–

1. प्रो0 आशु रानी, कुलपति –	अध्यक्ष
2. प्रो0 अजय तनेजा, प्रति–कुलपति –	सदस्य
3. श्री लियाकत अली अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल आगरा (प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य
4. डॉ0 राजेश प्रकाश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, (प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य
5. डॉ0 राजीव कुमार, कुलसचिव	सदस्य
6. डॉ0 ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7. श्री सुदर्शन, वित्त अधिकारी	सदस्य–सचिव

वित्त अधिकारी द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यो का स्वागत करते हुए मा0 कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

मद संख्या 01– वित्तीय वर्ष 2022–23 की तैयार बैलेन्सशीट समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना।

निश्चय संख्या 01– समिति द्वारा प्रस्तुत बैलेन्सशीट का अवलोकन किया गया। वित्त अधिकारी द्वारा आय के सापेक्ष व्यय के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में लम्बित भुगतान किये जाने के कारण पूर्व वित्तीय वर्ष से अधिक का व्यय किया गया है साथ ही राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना के कारण आय में कमी हुई है। प्रति कुलपति द्वारा सुझाव दिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में शासन स्तर से वेतन, पेंशन व अन्य मद में कोई अनुदान प्राप्त न होने के कारण प्रतिवर्ष वेतन कॉर्पस फण्ड व पेंशन मद में रूपये 50–50 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्रावधान कराया जाय, जिससे कि भविष्य में कार्मिकों को वेतन व पेंशन मद से नियमित रूप से भुगतान कराया जा सके। उक्त सुझाव व निर्देश के साथ प्रस्तुत बैलेन्सशीट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– वित्त अधिकारी)

मद संख्या 02– निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, संस्कृति भवन के प्रस्ताव दिनांक 25.07.2023 के अनुसार विभाग में स्ववित्त पोषित नवीन पद का सृजन प्रस्तुत आय के सापेक्ष किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना।

...2

निश्चय संख्या 02– समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि निदेशक द्वारा प्रस्तुत विषयवार कार्यभार मे ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए 1 पद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नो. के लिए 4 पद, फूड साइंस – 1 पद, मैनेजमेंट एचआरएम – 1 पद, मैनेजमेंट विद फाइनेंस– 1 पद, कम्प्यूटर साइंस एंड आईटी– 1 पद व लैब असिस्टैण्ट – 3 पद, चतुर्थ श्रेणी – 2 पद का सृजन वास्तविक छात्र संख्या व प्राप्त शुल्क के सापेक्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । इतिहास, समाजशास्त्र, व अंग्रेजी विषय का अध्यापन हेतु सेवायें विश्वविद्यालय के सम्बन्धित संस्थान/विभाग से प्राप्त की जाय । समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लैब असिस्टैण्ट व चतुर्थ श्रेणी का पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से व अन्य शैक्षिक पद स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत असिस्टैण्ट प्रोफेसर की योग्यता के अनुसार कराया जाय ।

(कार्यवाही – निदेशक, कुलसचिव)

मद संख्या 03– विश्वविद्यालय के एलएल.एम. पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित) हेतु आय के सापेक्ष तीन अतिथि प्रवक्ताओं के पद सृजन पर विचार किया जाना ।

निश्चय संख्या 03– समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया । प्रस्तुत आय–व्ययक के सापेक्ष तीन अतिथि प्रवक्ताओं के पद के सृजन की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी कि पद का नाम अतिथि प्रवक्ता के स्थान पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत असिस्टैण्ट प्रोफेसर पदनाम किया जाय ।

(कार्यवाही – कुलसचिव, समन्वयक)

मद संख्या 04– विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, का प्रस्ताव दिनांक 11.09.2023 के अनुसार बी0पी0ई0एस0 (त्रिवर्षीय 6 सेमेस्टर) का वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये 10,000/– एवं रूपये 5,000/– प्रति सेमेस्टर किये जाने एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क रूपये 20,250/– के स्थान पर वार्षिक शुल्क रूपये 25,000/– किये जाने पर विचार किया जाना ।

निश्चय संख्या 04– समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार बी0पी0ई0एस0 (त्रिवर्षीय 6 सेमेस्टर) का वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये 15,000/– के स्थान पर रूपये 10,000/– एवं प्रति सेमेस्टर शुल्क रूपये 5,000/– एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क रूपये 20,250/– के स्थान पर वार्षिक शुल्क रूपये 25,000/– किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जो सत्र 2024–25 से लागू होगी ।

(कार्यवाही – निदेशक, परीक्षा नियंत्रक)

मद संख्या 05– अध्यक्ष खेलकूद परिषद के प्रस्ताव दिनांक 09.08.2023 के अनुसार सत्र 2023–24 मे होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु खेलकूद परिषद की समीक्षा बैठक दिनांक 03.08.2023 की संस्तुतियो के अनुसार दर वृद्धि व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना ।

निश्चय संख्या 05– समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया । समिति ने खेलकूद परिषद की समीक्षा बैठक दिनांक 03.08.2023 के निम्नलिखित बिन्दुओं को ही स्वीकार किया –

बिन्दु संख्या 3 – के अनुसार शिविर एवं अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता मे प्रशिक्षक, आयोजन

...3

सचिव एवं पर्यवेक्षक को रूपये 500 के स्थान पर केवल रूपये 750/- प्रतिदिन दिया जाय ।
बिन्दु संख्या 4 - अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु ग्राउड्मैन (मजदूर) को पारिश्रमिक के रूप मे रूपये 190/- के स्थान पर रूपये 350/- प्रतिदिन प्रदान किया जाय ।
बिन्दु संख्या 5 में उत्तर क्षेत्रीय/अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय, व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रूपये 30,000/- के स्थान पर रूपये 35,000/- द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को रूपये 20,000/- के स्थान पर रूपये 25,000/- एवं तृतीय स्थान वाले को रूपये 15,000/- के स्थान पर रूपये 20,000/- की धनराशि ही पुरस्कार के रूप में देय हो ।
बिन्दु संख्या 7- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता मे (अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त खेलों मे) प्रतिभाग करने वाले खिलाडी को विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर रूपये 1,50,000/- रूपये 1,25,000/- एवं रूपये 1,00,000/- एवं प्रतिभाग करने पर रूपये 50,000/- धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाय ।
बिन्दु संख्या 8 - उत्तर क्षेत्रीय/अखिल भारतीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष छात्रवृत्ति महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान किये जाने एवं उनके रहने की व्यवस्था छात्रावास में निःशुल्क किये जाने के विचार के लिएएक समिति का गठन किया जाय जिसके लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।
बिन्दु संख्या 9 - खेलो इंडिया गेम्स में विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों, टीम मैनेजर एवं कोच को भी उत्तर क्षेत्रीय/अखिल भारतीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की भाँति सभी सुविधायें एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाय ।
बिन्दु संख्या 10 व 11 का मानदेय रूपये 1,500/- प्रतिदिवस प्रदान किया जाय ।
बिन्दु संख्या 12 के तहत् विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को दी जाने वाली किट पूर्व की भाँति ही प्रदान की जाय ।
समीक्षा बैठक के वित्त से सम्बन्धित केवल उपरोक्त बिन्दुओं पर ही विचार किया गया ।
समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2024-25 से क्रीड़ा शुल्क रूपये 50 के स्थान पर रूपये 100/- व सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुल्क रूपये 20/- के स्थान पर रूपये 50/- प्रभावी किया जाय ।

(कार्यवाही - निदेशक, वित्त अधिकारी)

...ख्या 06- शिक्षक कल्याण कोष समिति के कार्यवृत्त दिनांक 26.07.2023 की संस्तुतियों पर विचार किया जाना ।

...संख्या 06- समिति द्वारा शिक्षक कल्याण कोष समिति के कार्यवृत्त का अवलोकन कर भुगतान की संस्तुतियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि सम्बन्धित के मूल प्रस्तुत बिलों के परीक्षण के उपरान्त ही भुगतान कराया जाय ।

(कार्यवाही - वित्त अधिकारी)

...ख्या 07- निदेशक, के.एम.आई. के प्रस्ताव दिनांक 16.10.2023 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित सत्र 2020-21 से एम.ए. फ्रैंच एवं सत्र 2022-23 से बी.ए. के पाठ्यक्रम हेतु अध्यापनरत दो शिक्षकों के पद पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तुत बजट के सापेक्ष मानदेय के सम्बन्ध में विचार किया जाना ।

....4

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनाँक 06.02.2024 (दिन मंगलवार) को आहूत हुई वित्त समिति की आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त।

–उपस्थिति–

1. प्रो0 आशु रानी, कुलपति –	अध्यक्ष	
2. प्रो0 अजय तनेजा, प्रति–कुलपति –	सदस्य	
3. श्री लियाकत अली अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल आगरा (प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य	
4. डॉ0 राजेश प्रकाश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य	
5. प्रो0 सुधांशु पाडिया, (कार्य परिषद् द्वारा नामित) सकायाध्यक्ष एवं निदेशक, स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य	ऑनलाइन उपस्थित
6. डॉ0 राजीव कुमार, कुलसचिव	सदस्य	
7. डॉ0 ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	
8. श्री सुदर्शन, वित्त अधिकारी	सदस्य–सचिव	

वित्त अधिकारी द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए मा0 कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

मद संख्या 01 विभागाध्यक्ष, सोशल वर्क, समाज विज्ञान संस्थान, के प्रस्ताव दिनांक 11.12.2023 के अनुसार सत्र 2023–24 से एम.एस.डब्ल्यू. स्ववित्त–पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत आय–व्यय विवरण के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष तीन अतिथि प्रवक्ता के सृजन के सम्बन्ध में विचार किया जाना।

निश्चय संख्या 01- समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित एम.एस.डब्ल्यू. पाठ्यकम के प्रस्तुत आय–व्यय के सापेक्ष तीन अतिथि शिक्षक/अनुदेशक पद सृजन की अनुमति प्रदान की गयी। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सम्बन्धित अतिथि शिक्षक/अनुदेशक के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित पाठ्यकम की आय से ही वहन किया जाये व आय के सापेक्ष ही इनकी नियुक्ति की जाये। विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य मद से सम्बन्धित का भुगतान न कराया जाये। उपरोक्त शर्तो के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, कुलसचिव)

मद संख्या 02– कॉर्डिनेटर, N.I.R.F. का प्रस्ताव दिनांक 29.01.2024 के अनुसार NACC मूल्यांकन ए N.I.R.F. रैंकिंग मे वृद्धि के लिए पेटेंट फाइलिंग के लिए बजटीय प्रावधान रूपये 20 लाख हे विचार किया जाना।